रजिस्ट्री सं. डी. एल.-[illegible] REGD. NO. D. L.-[illegible]

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2711] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2025/आषाढ़ 25, 1947

No. 2711] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2025/ASHADHA 25, 1947

दिवालियता बोर्ड ऑफ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2025

दिवालियता बोर्ड ऑफ इंडिया (दिवालियता और ऋणशोधन अक्षमता में निपटान की अन्य प्रक्रिया अपेक्षाओं की निर्धारित शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2025 में संशोधन के लिए अधिसूचना।

सं. एस. ओ. 1-(E)/2025 (अधिसूचना).—दिवालियता बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम, 2016 (2016 का 9) की धारा 34 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (ग) और (घ) के साथ उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (ग) तथा दिवालियता बोर्ड ऑफ इंडिया (दिवालियता और ऋणशोधन अक्षमता में निपटान की अन्य प्रक्रिया अपेक्षाओं की निर्धारित शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2025 में संशोधन के लिए अधिसूचना, 2025 (इसके पश्चात् "विनियम") के खंड 2 (1) (2025 विनियम 20 जून, 2025 को जारी) तथा उसके पश्चात् किए गए सभी संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, दिवालियता बोर्ड ऑफ इंडिया, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों को लागू करता है, अर्थात् :—

1. **लघु शीर्षक, प्रारम्भ एवं प्रभाव**

(1) इन विनियमों को दिवालियता बोर्ड ऑफ इंडिया (दिवालियता और ऋणशोधन अक्षमता में निपटान की अन्य प्रक्रिया अपेक्षाओं की निर्धारित शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2025 (2025 का [illegible]) कहा जाएगा।

(2) ये विनियम दिवालियता बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम, 2016 की धारा 3 के खंड (घ) में यथा परिभाषित दिवालियता के साथ संबद्ध कार्यवाही करने वाले किसी संगठित अनौपचारिक अनौपचारिक अथवा किसी अन्य अनौपचारिक के द्वारा स्थापित अथवा नियोजित प्रत्येक दिवालियता, अथवा द्वारा स्थापना द्वारा स्थापित अथवा संबद्ध स्थापनाओं सहित प्रत्येक स्थापना और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति पर दिवालियता संस्थान पर लागू होंगे।

(3) यह विनियम अधिसूचित दिनांक को प्रभाव में आएंगे।

2. उपबंध किया है कि कार्यवाही को अथवा स्थापना के एक प्रकार से अन्य में दिवालियता और स्थापनाओं दिवालियों, पुनर्समाधानों और निपटान, स्थापनाओं दिवालियों और संस्थाओं की निर्धारित और अन्य किए गई की पालन अधिकार इन विनियमों के अनुसार ये ही प्रभावी।

3. यदि कोई दिवालियता इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन किए जाने अथवा इस प्रकार उपबंधों का पालन करने में असफल रहने पर उक्त दिवालियता द्वारा किए गए अपराध, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए अधिनियम, अपनी निविदाओं में से दिवालियता को अपराध किए जाने वाली आवश्यकता अनुसार की गिन सकता है।